भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या - 2408

सोमवार, 03 अगस्त, 2026/12 श्रावण, 1948 (शक)

आंध्र प्रदेश का सार्वजनिक ऋण और वित्तीय स्थिरता

2408. श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डीः
श्री पी. वी. मिधुन रेड्डीः

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राज्य निगमों और विशेष प्रयोजी साधनों (एसपीवी) के माध्यम से ऑफ-बजट ऋण सहित वित्तीय वर्ष 2024–25 और 2025-26 में आंध्र प्रदेश के कुल सार्वजनिक ऋण तथा राज्य के वर्तमान ऋण-सकल राज्य घरेलु उत्पाद (जीएसडीपी) अनुपात का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 में आंध्र प्रदेश के जीएसडीपी के 4.6 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे, जोकि 16वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सीमा से काफी अधिक है का राज्य के ब्याज भुगतान के बोझ और दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता पर पड़े प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या केंद्र सरकार ने बढ़ते ऋण के प्रवाह को रोकने और राज्य में आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं एवं उसके कल्याणकारी कार्यों पर होने वाले व्यय की रक्षा के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को कोई सुधारात्मक उपाय या परामर्शदात्री निर्देश जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री

(श्री पंकज चौधरी)

(क): भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 (3) के अंतर्गत उधार सीमा के निर्धारण के लिए आंध प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, राज्य निगमों और विशेष प्रयोजन तंत्रों के माध्यम से बजटेतर उधारियों सहित वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान आंध्र प्रदेश के कुल सार्वजनिक ऋण से संबंधित विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की 'राज्य वित्त: बजट 2025-26 का एक अध्ययन' शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश राज्य सरकार का वर्तमान ऋण से सकल राज्य घरेलु उत्पाद (जीएसडीपी) अनुपात वित्त वर्ष 2024-25

(संशोधित अनुमान) के दौरान 35.5 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2025-26 (बजट अनुमान) के दौरान 35.4 प्रतिशत है।

(ख) और (ग): आंध्र प्रदेश सहित सभी राज्यों ने अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम अधिनियमित किए हैं जो राज्य सरकार को राजस्व घाटा को उत्तरोत्तर समाप्त करके, राजकोषीय घाटे में कटौती करके राजकोषीय सस्टेनेबिलीटी के अनुकूल विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन और सरकार के राजकोषीय प्रचालनों में अधिक पारदर्शिता द्वारा राजकोषीय प्रबंधन और वित्तीय स्थिरता में विवेकशीलता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार बनाता है। राज्य एफआरबीएम अधिनियम के अनुपालन को संबंधित राज्य विधान मंडलों द्वारा मॉनिटर किया जाता है।

आम तौर पर व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 (3) के अंतर्गत राज्यों द्वारा उधारी के लिए अनुमति प्रदान करते समय वित्त आयोग की स्वीकृत सिफारिशों के अनुसार राजकोषीय सीमा पर विचार करता है। पिछले वर्ष के दौरान राज्यों द्वारा अधिक उधारी, यदि हो, का समायोजन आगामी वर्ष की उधारी सीमा में किया जाता है। उधार सीमा की धोखाधड़ी से बचने के लिए और राजकोषीय घाटे को सूचित करने में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए, वित्त वर्ष 2021-22 से, राज्य की स्वयं की इकाइयों के माध्यम से राज्यों द्वारा ली गई बजटेतर उधारियों (ओबीबी) को भी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 (3) के अंतर्गत उधार के लिए अनुमति देते समय राज्य सरकारों द्वारा उधार माना जाता है।

दिनांक 03.08.2026 के लिए लोक सभा लिखित प्रश्न सं. 2408 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध-।

वित्त वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा लिए गए कुल सार्वजनिक ऋण से संबंधित विवरण।

(करोड़ रुपए में)

क्रं. सं.	**घटक**	**2024-25**	**2025-26 (सं.अ.)**
1	खुला बाजार उधारी (ओएमबी)	78,205.06	82,272.03
2	बैंकों ओर वित्तीय संस्थाओं से ऋण (एनएल)	700.00	2,000.00
3	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं (ईएपी)	966.64	1,633.01
4	सार्वजनिक लेखा उत्तरदायित्व (पीएएल)	2983.81	581.25
5	बजटेतर उधारियां (ओबीबी)	-	-
कुल		82,855.51	86,486.29

स्रोत: आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के आधार पर ।

सं.अ.: संशोधित अनुमान